

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

संघर्ष उप नियम के अनिवार्य सूची

१०८ नियम सोमवार, दिनांक ४ मार्च, 1999 (फाल्गुन १७, १९२०) (१)

समय १०.३० बजे बिन

१०८ नियम सूची दिनांक ४ मार्च, 1999 (फाल्गुन १७, १९२०) (१)

१. प्रश्नोत्तर

पुथकत्त वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

२. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक ५ सन् 1995) की धारा ८० की उपधारा (५) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-३-३२-९४-विक-पांच-(६७), दिनांक ५ सितम्बर, 1998 पटल पर रखेंगे।

३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण

(१) डॉ. सुनीलम्, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कंकर मुजारे सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम साबड़ी निवासी आदिवासी शुद्धक की भूख एवं उपचार के अभाव में हुई मीत की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री हजारीलाल दांडी, सदस्य, सीहोर, शाजापुर व राजगढ़ जिलों में कल्सल बीमा एवं प्रभिक बीमा राशि में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

४. लोक लेखा, प्राक्कलन सथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये पन्द्रह-पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (३), 223 के उपनियम (२) तथा 223-ख के उपनियम (१) के द्वारा अपेक्षित शीति से विच्छिय वर्ष 1999-2000 के लिये क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिये अपने में से पन्द्रह-पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हों।"

५. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये बीस सदस्यों का निर्वाचन

श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 - ख के उपनियम (१) के द्वारा अपेक्षित शीति से वर्ष 1999-2000 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से बीस सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें से क्रमशः पांच-पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हो) अप्रसर हों।"

निर्धारित

समय

1 घन्टा
30 मि.

2 घन्टे

3 घन्टे

2 घन्टे

8. वर्ष 1999-2000 की अनुसन्धानों की मांगों पर मतलब

(1) मांग संख्या 55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
(2) मांग संख्या उत्तम मांग संख्या 41	आदिम जाति कल्याण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
(3) मांग संख्या १६ मांग संख्या ३१ मांग संख्या ३८ मांग संख्या ५० मांग संख्या ६० मांग संख्या ७४	वित्त विभाग से संबंधित व्यय योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय वित्त विभाग से संबंधित विकेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
(4) मांग संख्या २३ मांग संख्या ४५ मांग संख्या ५७ मांग संख्या ८८	जल संसाधन विभाग लघु सिंचाई निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग से संबंधित विकेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबांड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
(5) मांग संख्या १३ मांग संख्या १७ मांग संख्या ४० मांग संख्या ५२ मांग संख्या ५४	कृषि सहकारिता आयाकर्त कृषि विभाग से संबंधित विकेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

भोजन :
दिनांक : ६ मार्च, 1999

के.पी. शिवार्थी
सचिव,
मण्डपप्रभेश विभाग सभा